

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या

प्रवेश तिथि

निर्णय दिनांक

15/10/2023

30-10-2023

05-12-2023

- 1- State Bank Of India, Stressed Assets Management Branch-1, 12th Floor Jawahar Vyapar Bhawan, Stc Building, 1 Tolstoy Marg Janpath, New Delhi-110001 Represented By Authorized Officer

प्रार्थी

बनाम

- 1- M/S Shivpriya Cables Pvt. Ltd.(Borrower)
Regd. Office: 518/6-A, Gf, Plot No. 73-75, Block No. 1, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi- 110032, Admin Office: B-15/23, Ground Floor, Dlf City Phase-1, Gurgaon (Haryana), F- 122-123, Industrial Area Chopanki-Bhiwadi, City Bhiwadi, E 448, Industrial Area Chopanki- Bhiwadi, City Bhiwadi
- 2- Sh. Ajay Kumar Gupta (Guarantor) S/O Mr. Onkar Nath Gupta R/O House No. 287, Espace Nirvana Country, South City 2, Gurgaon, Haryana-122001
- 3- Sh. Ayush Gupta (Guarantor) S/O Sh. Ajay Kumar Gupta R/O House No. 287, Espace Nirvana Country, South City 2, Gurgaon, Haryana- 122001
- 4- Smt. Seema Gupta (Guarantor) W/O Sh. Ajay Kumar Gupta R/O House No. 287, Espace Nirvana Country, South City 2, Gurgaon, Haryana-122001
- 5- Smt. Babita Aggarwal (Guarantor) W/O Sh. Satish R/O E-73, Block-E, Preet Vihar, Delhi- 110092
- 6- M/S. Getz Cables Pvt.Ltd. (Corporate Guarantor) 29/230, Railway Colony, Mandawali, Fazalpur, Delhi-110092

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, State Bank Of India, Branch-1, 12th Floor Jawahar Vyapar Bhawan, STC Building, 1 Tolstoy Marg Janpath, New Delhi- 110001 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को 52,94,32,352/- (Rupees Fifty Two Crore Ninety Four Lacs Thirty Two Thousand Three Hundred Fifty Two Only) रुपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Plot no. F- 122-123, RIICO industrial Area Chopanki-Bhiwadi, City Bhiwadi, 301019 (मालिक- M/S Shivpriya Cables Pvt. Ltd.), Plot no. E-448, RIICO Industrial Area Chopanki-bhiwadi City Bhiwadi 301019 (मालिक- M/S. Getz Cables Pvt.Ltd.) जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 24.02.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनांक 04.08.2022 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Plot

no. F- 122-123, RIICO Industrial Area Chopanki-Bhiwadi, City Bhiwadi, 301019 (मालिक— M/S Shivpriya Cables Pvt. Ltd.), Plot no. E-448, RIICO industrial Area Chopanki-bhiwadi City Bhiwadi 301019 (मालिक— M/S. Getz Cables Pvt.Ltd.) जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान) का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 24.02.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि बकाया 52,94,32,352 / रुपये एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्च सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Plot no. F- 122-123, RIICO industrial Area Chopanki-Bhiwadi, City Bhiwadi, 301019 (मालिक— M/S Shivpriya Cables Pvt. Ltd.), Plot no. E-448, RIICO industrial Area Chopanki-bhiwadi City Bhiwadi 301019 (मालिक— M/S. Getz Cables Pvt.Ltd.) जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान) का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति Plot no. F- 122-123, RIICO industrial Area Chopanki-Bhiwadi, City Bhiwadi, 301019 (मालिक— M/S Shivpriya Cables Pvt. Ltd.), Plot no. E-448, RIICO industrial Area Chopanki-bhiwadi City Bhiwadi 301019 (मालिक— M/S. Getz Cables Pvt.Ltd.) जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान) को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा—31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-12-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



5/12/23
(हनुमान मल ढाका)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल—तिजारा